

प्रिमियम एवं लीज रेंट भुगतान किये जाने हेतु

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन हेतु नामित नोडल अधिकारी/अधिशासी अभियंता, अभाव खण्ड उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर द्वारा जनपद-मीरजापुर में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत जनपद-मीरजापुर की सतही श्रोत आधारित लेदुकी ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित ई०एस०आर० एवं सी०डब्लू०आर० टैंक का निर्माण तथा विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन विछाये जाने 3.12.19 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी, जिसे 30 वर्षों की लीज अवधि के लिये लीज पर लेने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी, मीरजापुर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रिमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रिमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की वचनबद्धता दी जाती है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा जो मूल्य/प्रिमियम/लीज रेंट का निर्धारण किया जायेगा, उसे अधिशासी अभियंता/नोडल अधिकारी राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन, अभाव खण्ड उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर द्वारा स-समय भुगतान किया जायेगा।

उक्त के अलावा उक्त प्रस्तावित योजना हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है।


अधिशासी अभियंता/नोडल अधिकारी
राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन,
अभाव खण्ड उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर
संदीप सिंह
अधिशासी अभियंता
अभाव खण्ड, उ० प्र० जल निगम
मीरजापुर